

48

समाहरणालय, बक्सर
(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक1168...../आ०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर एवं डुमराँव।
समी अंचल अधिकारी, बक्सर जिला (डुमराँव को छोड़कर)।

बक्सर, दिनांक 17/07/2021

विषय : CFMS द्वारा Head of Account-39-2245-02-101-0002-NA के अंतर्गत सामुदायिक किचेन (कोविड-19) मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु कुल 7,00,000/- (सात लाख) रूपया मात्र का उपावंटन।

प्रसंग : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार का Order No.-348 Date 22-04-2021 एवं Order No.-532 Date 05-05-2021, इस कार्यालय के पत्रांक- 588/आ० दिनांक 06.05.2021, पत्रांक- 588/आ० दिनांक 06.05.2021 एवं पत्रांक- 688/आ० दिनांक 15.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से संबंधित CFMS Portal पर Allotment Id- 120478 Date 22-04-2021 एवं Allotment Id- 178297 Date 05-05-2021 Head of Account-39-2245-02-101-0002-NA के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु सामुदायिक किचेन (कोविड-19) मद में कुल राशि 19,00,000/- (उन्नीस लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक- 588/आ० दिनांक 06.05.2021 एवं पत्रांक- 688/आ० दिनांक 15.05.2021 के द्वारा पूर्व में कुल राशि 12,00,000/- (बारह लाख) रूपये मात्र का उपावंटन किया गया है।

प्राप्त आवंटन में से कुल अवशेष राशि 7,00,000/- (सात लाख) रूपये मात्र निम्नवत आपको उपावंटित किया जाता है :-

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सामुदायिक किचेन (कोविड-19)		कुल उपावंटित राशि
		पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	
1	2	3	4	5
1	नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर	150000.00	0.00	150000.00
2	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर	200000.00	57932.00	257932.00
3	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डुमराँव	200000.00	46947.00	246947.00
4	अंचल अधिकारी, बक्सर	75000.00	35210.00	110210.00
5	अंचल अधिकारी, राजपुर	75000.00	23474.00	98474.00
6	अंचल अधिकारी, इटाड़ी	50000.00	177894.00	227894.00
7	अंचल अधिकारी, चौसा	75000.00	58684.00	133684.00
8	अंचल अधिकारी, डुमराँव	75000.00	0.00	75000.00
9	अंचल अधिकारी, नावानगर	75000.00	61618.00	136618.00
10	अंचल अधिकारी, सिमरी	75000.00	82158.00	157158.00
11	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	75000.00	12306.00	87306.00
12	अंचल अधिकारी, चक्की	25000.00	58684.00	83684.00
13	अंचल अधिकारी, चौगाई	25000.00	2935.00	27935.00
14	अंचल अधिकारी, केसठ	25000.00	82158.00	107158.00
कुल योग :-		1200000.00	700000.00	1900000.00

कुल उपावंटित राशि 7,00,000/- (सात लाख) रूपये मात्र की निकासी निम्न शर्तों के तहत की जायेगी :-


1. यह आवंटन कोविड -19 के संक्रमण के रोकथाम एवं सामुदायिक किचेन/पंचायत क्वॉरंटीन कैम्प के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में होने वाले व्यय के लिये निर्गत किया जा रहा है।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपवांटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. आवंटित की गयी राशि की निकासी अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजते हुए शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 31.08.2021 तक अवश्य भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि0(2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक- 31.08.2021 तक निश्चित रूप से कर दे, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।

विश्वासभाजन,


जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक.....1168...../आ0 दिनांक.....17/07/2021.....

- प्रतिलिपि : नजारत उप समाहर्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : डी0आइ0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
बक्सर